



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14412

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 536 सन् 2026

भोगीलाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अनिल कुमार शुक्ला

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार शुक्ला और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना।
- याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह 1993 से वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं और वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभा शंकर दुबे बनाम संभागीय वन अधिकारी, सिविल अपील संख्या 10956/2018 दिनांक 14.11.2018 के फैसले के आलोक में न्यूनतम वेतनमान की मांग करते हैं।
- दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय प्रथम दृष्ट्या प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा किया जाना चाहिए।
- बार की ओर से दिए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, याचिका का निस्तारण करते हुए, याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रति प्रत्यर्थी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करें, जिस पर प्रत्यर्थी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी 2026

राजेश

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।